(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 61/2024–2025
नई दिल्ली, दिनांकः 7 मार्च, 2025

विषयः एचएस कोड 1006 40 00 के अंतर्गत टूटे हुए चावल की निर्यात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ.). समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची–II (निर्यात नीति) के अध्याय 10 के आइटीसी (एचएस) कोड 1006 40 00 के अंतर्गत टूटे हुए चावल की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करती हैः–

आईटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	मौजूदा निर्यात नीति	संशोधित निर्यात नीति	संशोधित निर्यात नीतिगत शर्त
1006 40 00	टूटे हुए चावल	निषिद्ध	मुक्त	-

अधिसूचना का प्रभावः टूटे हुए चावल की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से 'निषिद्ध' से संशोधित करके 'मुक्त' किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी 7.3.2025
(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/171/35/एएम20/ई–फाइल/पार्ट–I/ई–19680 से जारी)